

Entry
अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (दिनांक)

जमावती रद्द अभिलेख वाद सं- 178 / 2016-17

वाद का प्रकार - बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 4(1) के तहत अधि
 एवं कार्यवाई से संबंधित।

19/11/16

असंबद्ध सरकार के क्रमक-2574/सं. दिनांक 13.05.2016 सहपत्रित श्री अनुप
 मुखर्जी निदेशक मू-अर्जन सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र
 सं-1-आ/मू-निले-119/85/2398/सं. दिनांक 03.09.1985 एवं सह-बड़े संगत
 विभागीय पत्र सं-214/80 दिनांक 08.12.1998 में विहित निदेश के अनुपालन
 निम्नलिखित खास भूमि की अधिसूची में जमावतियों को अधि प्रारण की गई। जिन के
 प्रेम में हस्ता कार्यवाही एवं अचल निरीक्षण द्वारा प्रत्येकित किया गया है कि निम्नलिखित
 विवरणों की भूमि -

सं. 198/85/2398/सं. याना नं. 42, प्लॉट नं. 138, साई सं.
 राज्य 198/85/2398/सं. भूमि जो मूलतः खास वाद, जमावत विभाग
 (आरक्षण) सरकार के खाल की तस्वीरी भूमि है जिसकी जमावती इस संज्ञा के प्लॉट-11 एवं
 जमावती रद्द भीम मोंगी, 140 भाताल मोंगी
 खास बिपरा के नाम से जाना है।

इसका कार्यवाही एवं अचल निरीक्षण द्वारा प्रत्येकित अनुपुक्त विवरणों की भूमि को
 निरस्त जमावतियों को संबंधित प्रत्येकित किया गया है।

जिन जमावतियों एवं अचल निरीक्षण द्वारा संपूर्ण जमीन मालिकता से प्रतीत होता है
 कि अनुपुक्त जमावती बिना स्वयं प्राधिकारी के आदेश के/अधीन वकीलपत्ती के अधिन
 पर/अदालत कोठकर इत्यादिकों के आधार पर/अधीन संपन्न निरीक्षण के आधार पर/अधीन
 हुकुमनामा के आधार पर अधिसूची की गई है, जिसका उद्देश्य भिन्नी रूप एवं साधन को प्रति
 आरोपित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि अनुपुक्त विवरणों की जमावतियों की सूचिका
 जमावतियों अंतर्गत प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा
 4(1) के तहत अधि किया गया एकांगीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमावती रद्द को प्रतिरिक्त किया कर अनुपुक्त मू-रद्द से संबंधित
 पूरे दस्तावेजों/निर्गत संपन्न रसीदों की मांग करें तथा जमावतियों के रद्द प्रत्येकित करें कि जमा
 रद्द जमावतियों को उद्घटन करते हुए बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधिनियम 1956 की धारा 4(1)
 के तहत संपन्न प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुसूचित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 11/8/16 को उपर्युक्त कर।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी
 बलियापुर।

19/11/16

अंचल अधिकारी
 बलियापुर।

19/11/16
 26/10/16
 24/11/16

11/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया / जमा किया
 रीफंड के वंशज के, जमापत्र में उपस्थापित
 होकर उपरोक्त भूमि के संबंधित दस्तावेजों
 व-दावती के क्र. नं. 6 (क्र.) / 703 की धारा
 प्रति वर्ष लगान शरीद वर्ष 1990 तक
 की धारा प्रति सम्पत्ति किया गया है। लगान
 शरीद अभिलेख नहीं है।

अभिलेख कार्टेज के
 अभिलेख भूमि सुधार अधिनियम, 1956 के
 अंतर्गत है।

11/8/16
 जे. एन. राव
 अधिकारी

सदर आदेशों संख्या - 138

/ 2018 (अनुसूचित जाति - संख्या 80) का. सं. 1950

सूचना

नाम - श्री मांजी, पिता महात्म मांजी
श्री 0 ठाकरा

श्री 0 ठाकरा अ. सं. 42

सदर द्वारा अधिकांश सूचित किया जाता है कि श्री 0 ठाकरा अ. सं. 42
संख्या 138 - संख्या 42 - संख्या 0.5000 - संख्या 42
सदर द्वारा अधिकांश सूचित किया जाता है कि श्री 0 ठाकरा अ. सं. 42

अतएव आप उक्त संख्या न दिनांक 1/8/14 को समय 11:00 बजे पूर्वदिन में उक्त
भूमि का रेटर्न-1 भूमि बंदोबस्तों से संबंधित हस्तगतता, अग्रणी जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, सामं M एवं सशकार से जमींदारी निर्गत रूप में उक्त संख्या द्वारा निर्गत हस्तगत
रसीदों निर्गत परवाना एवं उक्त दाता साक्ष्यों का मूल प्रति हस्तगतित होते कि अधिका उक्त
भूमि पर दाते की दृष्टि करता है कि पाथ जमींदारों को कर्पायुक्त प्रस्ताव ने उपस्थित
सदर अधिका 28 परस्तुत करें

सदर दृ के अधिका कि विधियों में अधिका उक्त उक्त संख्या न अधिका कुं
नहीं कहना है तथा अधिका उक्त अधिका, अधिका से उक्त पर अधिका उक्त पर अधिका कुं
उक्त अधिका के अधिका में दृष्टि-युक्त निर्गत उक्त दृ अधिका उक्त अधिका उक्त की अधिका

इसे तुरंत जारी करे।

Handwritten signature and date: 21/3/16

लिखि -
संज्ञन -

Khushi Ram Sanyal
व्यक्तिगत रूप से
संज्ञन 24/4/9 अधिका